UPJB010072592025

**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03 , जनपद अमरोहा**

पीठासीन अधिकारी–संजय चौधरी (उच्चतर न्यायिक सेवा)
**फौजदारी निगरानी सं० – 338/2025**
श्रीमती दीपा बनाम उ 0 प्र 0 राज्य आदि

**आदेश**

**दिनांकः–29.06.2026**

निगरानी पर निगरानीकर्ता और विपक्षी संख्या 1 को सुना गया। शेष विपक्षीगण 2 ता 4 की आपत्तियां पत्रावली पर दाखिल है, परन्तु कोई उपस्थित नहीं है।

**02.** इस निगरानी के द्वारा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय के आदेश दिनांकित 10.12.2025 को प्रश्नगत किया गया है जिसके द्वारा परिवाद संख्या 383/2025 को खारिज किया गया है।

**03.** निगरानी याचिका से यह आधार लिये गये हैं कि सभी साक्षियों द्वारा घटना का समर्थन करने के उपरान्त भी और स्वयं विपक्षी की ओर से दर्ज कराये गये पूर्व मुकदमा अपराध संख्या 223/2025 की पीड़िता द्वारा धारा 183 बीएनएसएस के बयान में दोनों पक्षों में झगड़ा होना स्वीकार किये जाने के उपरान्त भी विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा विधिविरूद्ध रूप से परिवाद को खारिज किया गया है, इसलिए निगरानी स्वीकार की जाये और आदेश अपास्त किया जाये।

**04.** विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति के अनुसार विपक्षीगण की वालिका के साथ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज होने के पश्चात दबाव बनाने के लिए परिवाद दायर किया गया है। कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। विद्वान मजिस्ट्रेट का आदेश विधिसम्मत है, निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

**05.** इस निगरानी के निस्तारण के लिए अभिलेख पर उपलब्ध निम्न बिन्दु विचारणीय हैः–

**1.** सम्बन्धित परिवाद दाखिल होने की दिनांक 06.06.2025 से पूर्व दिनांक 22.05.2025 को परिवादिया के पुत्र निखिल के विरूद्ध विपक्षी नेपाल सिंह के द्वारा दिनांक 17.05.2025 को अपनी पुत्री के साथ छेड़खानी करने का मुकदमा थाने पर दर्ज करवाया था जिसका अपराध संख्या 223/2025 है। यह मुकदमा धारा 351(2), 352 और 74 बीएनएस के अन्तर्गत दर्ज हुआ है।।

**2.** परिवादिया का कहना है कि विपक्षीगण दिनांक 18.05.2025 की शाम को उसके घर में घुस आये और आते ही उसके पुत्र निखिल के साथ मारपीट करने लगे

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2026.06.29 15:42:50 EDT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

और जाते समय निखिल को जान से मारने की धमकी देते हुए गये, परन्तु पूरे परिवाद में कोई कारण नहीं बताया गया है कि क्यों विपक्षीगण निखिल को पीटने आये थे और क्यों उनके द्वारा निखिल को जान से मारने की धमकी दी गयी। परिवादिया ने अपने बयान में भी ऐसा कोई कारण नहीं बताया है। समर्थन में प्रस्तुत हुए साक्षियों ने भी घटना के किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है।

3. गांव के बहुत से लोगों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर बीच–बचाव करने के उपरान्त भी परिवादिया ने अपने और अपने पुत्र के अतिरिक्त केवल 70 वर्षीय महिला प्रेमवती का बयान करवाया है। किसी भी ऐसे व्यक्ति का बयान नहीं करवाया जिसने मौके पर कथित रूप से बीच–बचाव किया हो जबकि प्रेमवती ने भी अपने बयान में कहा है कि गांव के बहुत से लोगों ने बीच–बचाव किया था। 70 वर्षीय महिला जो शोर सुनकर मौके पर पहुंचने में लगने वाले समय, झगड़ा करने वाले व्यक्तियों को शाम के समय देखने और पहचानने में आयु के कारण हो सकने वाले भ्रम के कारण कमजोर स्थिति में हो सकती है। इसके बावजूद वृद्ध महिला को ही बयान में प्रस्तुत करने से विपक्षीगण की यह आपत्ति भरोसे योग्य प्रतीत हो रही है कि यह गवाह भी परिवादिया के परिवार का ही गवाह है। इस प्रकार परिवाद के समर्थन में कोई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

06. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु इस निष्कर्ष पर पहुंचा रहे हैं कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया विवेक का प्रयोग मनमाना नहीं है , बल्कि मामले की परिस्थितियों पर आधारित है, इसलिए विद्वान मजिस्ट्रेट के किये गये विवेक प्रयोग में हस्तक्षेप का आधार न पाते हुए **निगरानी खारिज की जा रही है।** आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अविलम्ब सम्बन्धित न्यायालय को वापिस किये जाये।

दिनांक–29.06.2026

**(संजय चौधरी)**

**Id. No:–UP6401**

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–3

जनपद अमरोहा